महत्वपूर्ण

संख्या-17/2024/667/तीस-4-2024/ 30-40999(099)/220/2023

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 25 सितम्बर, 2024

विषय :सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0-सा0का0नि0 901(अ), दिनांक 22.12.2022 में प्राविधानों के अधीन प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV-Authorised Dealer of Registered Vehicle) के पंजीकरण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1015सा0प्र0/2023-68टीआर/23-2016, दिनांक 30.10.2023 एवं पत्र संख्या-75(शा0)सा0प्र0/2024-68टीआर/2016-23, दिनांक 02.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0- सा0का0नि0 901(अ), दिनांक 22.12.2022 के संगत प्राविधानों के अनुक्रम में रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित करने हेतु आपके कार्यालय स्तर पर गठित समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 02.08.2023 का कार्यवृत्त अनुमोदनोपरान्त उपलब्ध कराते हुए शासन से आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 22.12.2022 के संगत प्राविधानों के अनुक्रम में प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV-Authorised Dealer of Registered Vehicle) के पंजीकरण किये जाने एवं उक्त व्यवस्था से लाभान्वित होने के प्रयोजनार्थ जनसामान्य को जागरूक किये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नवत निर्धारित किया जाता है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

वर्तमान में पुरानी पंजीकृत वाहनों के क्रय/विक्रय का कारोबार/व्यापार बहुत अधिक संख्या में हो रहा है परन्तु इस कारोबार को करने वाले व्यौहारी न तो प्रदेश/देश में कहीं पंजीकृत है और न ही इनके द्वारा पंजीकृत वाहन को क्रय-विक्रय किये जाने हेतु कोई प्रक्रिया प्रचलित है। उक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय मोटर यान नियमावली 1989 में आवश्यक संशोधन किये जाने के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) के सम्बन्ध में प्राविधान किये जाने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना संख्या- सा0का0नि0 901 (अ), दिनांक 22.12.2022 निर्गत किया गया है।

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 22.12.2022 में रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी के सम्बन्ध में निम्नवत उल्लेख हैः-

''.....रजिस्ट्रीकृत यान का प्राधिकृत व्यौहारी वह व्यक्ति होगा, जिसे रजिस्ट्रीकृत यान के विक्रय या क्रय करने में विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।"

उक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-55 क (2) में निम्नवत उल्लेख हैः-

''रजिस्ट्रीकृत यान के विक्रय के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र को प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए कोई आवेदन, नियम 81 में यथा विनिर्दिष्ट समुचित फीस के साथ उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को जिसके अधिकार क्षेत्र में वह कारोबार करता है, प्रारूप 29क में पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रूप से किया जाएगा।"

प्रारूप 29क में आवेदक को अपना नाम, पता, व्यवसाय का स्थान, G.S.T संख्या, पैन कार्ड, निगमन / उद्यम आधार / दुकान अधिनियम रजिस्ट्रीकरण संख्या इत्यादि अंकित करनी है।

उक्त नियमावली के नियम-55क (3) में निम्नवत उल्लेख है:-

"उपनियम (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी यदि वह संतुष्ट है तो आवेदक को, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रारूप 29ख में पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी करेगा।"

3. उक्त से स्पष्ट है कि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की संतुष्टि पर ही आवेदनकर्ता को रजिस्ट्रीकृत वाहन के प्राधिकृत व्यौहारी के रूप में प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। परन्तु प्राधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आवेदनकर्ता की किन अर्हताओं का परीक्षण करना चाहिए, उसके सम्बन्ध में उक्त अधिसूचना संख्या- सा0का0नि0 901 (अ), दिनांक 22.12.2022 में किसी प्राविधान का उल्लेख नहीं किया गया है।

यह भी स्पष्ट है कि केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम /नियमावली में नये वाहनों के क्रय/विक्रय हेतु डीलर/व्यौहारी की परिभाषा में भी उक्त रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) को सम्मिलित नहीं किया गया है। ज्ञातव्य है कि नये वाहनों के क्रय/विक्रय हेतु डीलर/व्यौहारी को प्राधिकार प्रमाण-पत्र सम्बन्धित रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा तभी निर्गत किया जाता है, जब सम्बन्धित डीलर/व्यौहारी के पास डीलर/व्यौहारी को विनिर्माता द्वारा प्रारूप-16ए में प्राधिकार प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया हो। विनिर्माता द्वारा सम्बन्धित डीलर/व्यौहारी को प्रारूप-16ए तभी निर्गत किया जाता है, जब वह विनिर्माता द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता है। उक्त से स्पष्ट है कि नये वाहनों के क्रय/विक्रय हेतु डीलर/व्यौहारी का उत्तरदायित्व सम्बन्धित रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी के साथ-साथ सम्बन्धित विनिर्माता के प्रति भी रहता है।

4. उक्त के विपरीत चूंकि रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी को किसी विनिर्माता से प्राधिकार प्रमाण-पत्र लेने की कोई बाध्यता नहीं है तथा भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 22.12.2022 द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार प्रमाण-पत्र निर्गत करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी यानों के क्रय / विक्रय करने में सक्षम होगा। अतः रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी के उत्तरदायित्व को निर्धारित / स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है। यहाँ यह भी उल्लिखित करना है कि रजिस्ट्रीकृत वाहन का क्रय/विक्रय एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय है। वाहनों के क्रय-विक्रय से सम्बन्धित कतिपय विवाद उत्पन्न होने की संभावना सदैव बनी रहती है।

5. अत: उपर्युक्त नियमो के सुसंगत प्राविधानों के आलोक में जनहित तथा रजिस्ट्रीकृत यान के वाहन स्वामी के हितों की रक्षा हेतु रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) के सम्बन्ध में निम्नवत कार्यवाही / प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

अर्हताएँ- रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) हेतु आवेदनकर्ता की निम्न अर्हताएँ होनी चाहिए:-

(1) आवेदनकर्ता एक विधिक इकाई होगा तथा तत्सम्बन्धी विधिक पंजीकरण प्रमाण-पत्र की नोटराइज्ड सत्यापित प्रति उसे निम्न व्यवस्था के अनुरूप आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र०सं०	आवेदक का स्वरूप	संलग्न किये जाने वाला दस्तावेज
1	*2*	*3*
i.	कम्पनी	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत निर्गत सर्टिफिकेट ऑफ इन्कार्पोरेशन
ii.	LLP फर्म	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत निर्गत LLP सम्बन्धी सर्टिफिकेट ऑफ इन्कार्पोरेशन
iii.	पार्टनरशिप फर्म	पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के तहत निर्गत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ पार्टनरशिप
iv.	सोसाइटी	सोसाइटीस रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत निर्गत रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र
v.	ट्रस्ट	प्रचलित नियमों के तहत निर्गत ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र
vi.	प्रोपाइटर	Shop एण्ड Establishment Act के तहत पंजीकरण प्रमाण-पत्र अथवा उद्यम आधार प्रमाण-पत्र

(2) आवेदनकर्ता की विधिक इकाई न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व पंजीकृत हो तथा विगत 01 वित्तीय वर्ष में नेट वर्थ न्यूनतम 1 करोड़ रूपये हो।

(3) आवेदनकर्ता परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में रू 20 लाख की बैंक गारण्टी प्रस्तुत करेगा, जिसकी वैधता 05 वर्ष होगी।

(4) आवेदनकर्ता द्वारा चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा साझेदारी फर्म/कम्पनी की दशा में सभी साझेदारों का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदनकर्ता का व्यवसाय करने वाला स्थान (कार्यालय तथा वाहनों की पार्किंग / स्टोरेज का स्थान) या तो आवेदनकर्ता का स्वयं का परिसर होगा अथवा वह स्थान आवेदनकर्ता के नाम पर न्यूनतम 05 वर्ष की लीज पर होगा तथा लीज रजिस्टर्ड होगी।

(6) आवेदनकर्ता के व्यवसाय के स्थान में मोटरयान के प्रदर्शन, पार्किंग एवं यानों के स्टॉक को सुरक्षित रखने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रजिस्ट्रीकृत यान का प्राधिकृत व्यौहारी हेतु आवेदन की प्रक्रिया:-

(1) आवेदनकर्ता द्वारा प्राधिकृत प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु या उसके नवीकरण के लिए जिस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में उसके कारोबार का स्थान है, के सम्मुख प्रारूप-29क में आवेदन किया जायेगा।

(2) आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् आवेदनकर्ता के व्यावसायिक स्थान का निरीक्षण सम्बन्धित सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा कराया जायेगा तथा नियमानुसार अर्हता पूर्ण करने पर ही रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) को प्राधिकार प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा तथा उसे वाहन 4.0 पर डीलर प्वाइंट का लॉगिन आई.डी. व पासवर्ड भी प्राप्त कराया जायेगा।

(3) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-55 क(1) के अनुसार कोई व्यक्ति उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उसके कारोबार का स्थान है, द्वारा प्रारूप-29 (ख) में जारी किये गये प्राधिकार प्रमाण-पत्र के बिना रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) के रूप में कोई कार्य नहीं करेगा। यदि कोई रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) द्वारा बिना प्राधिकार प्रमाण-पत्र के कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सम्बन्धित रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(4) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-55क(7) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वह किसी सार्वजनिक सडक/सार्वजनिक स्थान पर विक्रय के लिए यानों को खड़ा नहीं करेगा।

(5) रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वह अपने अधिकृत प्रतिनिधि/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के नमूने/फोटो परिचय-पत्र तथा अपने संस्थान की अधिकृत मुहर का नमूना सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, जहाँ उसके कारोबार का स्थान है, को उपलब्ध करायेगा।

(6) मोटर यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा अपना यान रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) को दिये जाने के तथ्य के बारे में, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रारूप-29ग में सूचना दिया जायेगा। इस हेतु वाहन स्वामी द्वारा वाहन 4.0 के सिटिजन पोर्टल पर ओ०टी०पी० के माध्यम से प्रारूप-29ग में आवेदन किया जायेगा तथा जनपद में पंजीकृत ADRV की सूची से जिसे वह अपना वाहन दे रहा है, उसका चयन किया जायेगा। तत्पश्चात वाहन स्वामी तथा रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) द्वारा प्रारूप-29ग में हस्ताक्षर कर प्रारूप तथा आवश्यक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दस्तावेजों को ADRV के डीलर प्वाइंट लॉगिन आई०डी० से वाहन 4.0 पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। प्रारूप-29ग के वाहन 4.0 पोर्टल पर सफलतापूर्वक दाखिल होने के पश्चात एक पावती संख्या (Acknowledgement Number) वाहन 4.0 पोर्टल के माध्यम से जारी हो जायेगी।

(7) वाहन 4.0 पोर्टल पर पावती संख्या के इलेक्ट्रानिक रूप में जारी होने के पश्चात् सम्बन्धित वाहन की Ownership Type डीम्ड ओनर होगी तथा वाहन पोर्टल पर सम्बन्धित वाहन की जानकारी में ADRV सम्बन्धित जानकारी यथा-ADRV का नाम, प्रमाण-पत्र संख्या, पता, पावती संख्या, रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा अपना वाहन ADRV को देने की तिथि एवं समय इत्यादि अंकित होगी।

(8) रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पावती संख्या जारी होने के समय उसके द्वारा वाहन के ओडोमीटर की रीडिंग भी अनिवार्य रूप से अंकित / अभिरक्षित की जायेगी।

(9) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-55 (घ) में रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) के कब्जे में मोटर यानों का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, का उल्लेख किया गया है तथा नियम-55 (ड.) में इन वाहनों को उपयोग किये जाने की स्थिति में प्रारूप-29च में यान फेरा रजिस्टर (Electronic Vehicle Trip Register) अनिवार्य रूप से बनाये जाने का उल्लेख किया गया है। रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इन फेरों/ट्रिप के प्रारम्भ एवं अन्त में वाहन के ओडोमीटर की रीडिंग को भी अनिवार्य रूप से फेरा रजिस्टर में अंकित / अभिरक्षित किया जायेगा।

(10) यदि मोटर यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी, ADRV से अपना यान वापस ले लेता है, तो वह रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्रारूप-29घ में सूचना देगा तथा उक्तानुसार वाहन की Ownership Type पुनः परिवर्तित होगी तथा वाहन पोर्टल पर वाहन स्वामी द्वारा ADRV से अपना यान वापस लेने की तिथि तथा प्रारूप-29घ के जारी होने की पावती संख्या भी अंकित होगी।

(11) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-55ग (1) के अनुसार प्रारूप-29ग के दाखिल करने के पश्चात रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) मोटर यान का स्वामी समझा जायेगा और यान के सभी सुसंगत दस्तावेजों की विधिमान्यता के लिए और ऐसे यान से सम्बन्धित सभी घटनाओं के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।

(12) रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी इलैक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल पर प्रारूप 29ड. में इन्वेन्ट्री / सूची का रिकार्ड रखेगा तथा यह सूची/इन्वेन्ट्री रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को भी देखने की सुविधा एन.आई.सी. द्वारा वाहन पोर्टल पर बनायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(13) केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-55ग (2) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत यान का प्राधिकृत व्यौहारी प्रारूप-29ग के माध्यम से अपने कब्जे के यान के सम्बन्ध में, जो उसकी वाहन पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक इन्वेन्ट्री/सूची में प्रदर्शित हो रहा है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीकरण या फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीकरण या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति, अनापत्ति प्रमाण पत्र, बीमा या मोटर यान के स्वामित्व के अन्तरण के लिए आवेदन करने हेतु सक्षम होगा।

(14) रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) द्वारा एन.ओ.सी / पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति/रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण, फिटनेस प्रमाण-पत्र हेतु अधिकृत प्रतिनिधि/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की सम्बन्धित परिवहन कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(15) रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) जब मोटर यान का विक्रय करेगा तो स्वामित्व अन्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारूप-29 पर अपनी लॉगिन आईडी से करेगा तथा वह उसी वाहन का विक्रय कर सकेगा, जो उसकी इलेक्ट्रानिक इन्वेन्ट्री सूची में अंकित हो। एन.आई.सी. द्वारा पोर्टल पर उक्त हेतु भी सुविधा विकसित की जायेगी।

(16) स्वामित्व अंतरण हेतु रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) का अधिकृत प्रतिनिधि/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता तथा क्रेता की परिवहन कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(17) रजिस्ट्रीकृत यान का प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) अपने कब्जे के यान, जो उसकी वाहन पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक इन्वेन्ट्री/सूची में प्रदर्शित हो रहा है, को यदि किसी अन्य ADRV को विक्रय करता है, तो यह विक्रय सामान्य स्वामित्व अंतरण (केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्रारूप-29 एवं 30) के अन्तर्गत किया जायेगा तथा ऐसी स्थिति में वाहन को क्रय करने वाला ADRV वाहन का डीम्ड ओनर न होकर वाहन का रजिस्ट्रीकृत स्वामी ही माना जायेगा तथा यह वाहन क्रय करने वाले ADRV की वाहन 4.0 पोर्टल की इन्वेन्ट्री / सूची में सम्मिलित भी नहीं होगा।

(18) जनपद में एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी प्राधिकृत किये जा सकेंगे।

(19) सम्बन्धित जनपद के रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) के कारोबार के स्थान के अधिकार क्षेत्र के सम्बन्धित रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) के व्यापार स्थल का निरीक्षण किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित ADRV द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अनुसार अपने कब्जे के वाहनों तथा उनसे सम्बन्धित दस्तावेजों को नियमानुसार रखा जा रहा है अथवा नहीं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(20) केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-55च में प्राविधानित व्यवस्थानुसार, रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) द्वारा नियम-55ग से नियम-55 ड. के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में, प्राधिकार प्रमाण-पत्र को निलम्बन या रद्द करने की शक्तियां परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पास सुरक्षित होगी।

(21) उक्त अधिसूचना दिनांक 22.12.2022 के अन्तर्गत केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम-55छ में प्राविधानित व्यवस्थानुसार, नियम-55 के या 55च के अधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, परिवहन विभाग को अपील करेगा।

(22) रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) के सम्बन्ध में समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का अनुपालन सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी एवं रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- कृपया उक्त मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संख्या-17/2024/667(1)/तीस-4-2024/30-4099(099)/220/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. वरिष्ठ निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया रजिस्ट्रीकृत यान के प्राधिकृत व्यौहारी (ADRV) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के बिन्दु-5 के अन्तर्गत ''रजिस्ट्रीकृत यान का प्राधिकृत व्यौहारी हेतु आवेदन की प्रक्रिया'' शीर्षक के अधीन बिन्दु संख्या (12) एवं (15) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रियान्यवयन हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व), उ0प्र0।
4. परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

के0 पी0 सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in